



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22032023-244591
CG-DL-E-22032023-244591

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1323]
No. 1323]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 22, 2023/चैत्र 1, 1945
NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 22, 2023/CHAITRA 1, 1945

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 मार्च, 2023

का.आ. 1376(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से, आंध्र प्रदेश राज्य के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 167ए के कि.मी 0.0 से कि.मी 81.69 बोडारेवु- नरसाराओपेट - पिडुगुरल्ला सेक्शन तक के पेव्ड शोल्डर के साथ दो लेन में उन्नयन हेतु उक्त अनुसूची के स्तम्भ (4), (5), (6) और (7) में क्रमशः उल्लिखित राज्य, जिलों, तालुकों और गावों से सम्बन्धित उक्त अनुसूची के स्तम्भ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट भूमि के सम्बन्ध में अनुसूची के स्तम्भ (2) में उल्लिखित अधिकारियों को उक्त अधिनियम के अन्तर्गत सक्षम अधिकारियों के कृत्यों का निष्पादन करने के लिए एतद्वारा सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

अनुसूची

आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-NH167A पर भूमि का अधिग्रहण

क्रमिक संख्या	सक्षम प्राधिकारी	भूमि का विवरण	राज्य	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1	जॉइंट कलेक्टर, पालनाडु ()	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH167A के कि.मी. 0 से 81.69 तक	आंध्र प्रदेश	पालनाडु	चिलकालूरिपेट	1 चिन्ना पसुमरु
					नदेंदला	1 गनपावरम 2 इर्लपाडु 3 अम्मेनसाहेबपलेम 4 कनुपूरु
					रोम्पीचेरला	1 मच्छावरम 2 विप्पारला

[फा. सं. Rc.No.698/2022-G1, Dated. 03.2023]

अभय जैन, उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd March, 2023

S.O. 1376(E).— In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land specified in the corresponding entry in column (3) of the said Schedule relating to state, districts, taluk and villages mentioned in column (4), (5), (6) and (7) respectively of the said Schedule for upgradation to 2/4 laning with paved shoulders from Vodarevu- Narasaraopet - Piduguralla section National Highway No. NH167A km. 0.0 to km. 81.69 of in the State of ANDHRA PRADESH.

SCHEDULE

Land acquisition on National Highway No. 167A in the State of ANDHRA PRADESH.

Sl. No.	CALA	Stretch	State	District	Taluk/Mandal	Name of the Village
1	2	3	4	5	6	7
1	Joint Collector, Palnadu ()	0KM To 81.69KM	ANDHRA PRADESH	Palnadu	Chilakaluripet	1 Chinna Pasumarru
					Nadendla	1 Ganapavarm 2 Irlapadu 3 Ammensahebpalem 4 Kanuparru
					Rompicherla	1 Machavaram 2 Vipparla

[F. No. Rc.No.698/2022-G1, Dated. 03.2023]

ABHAY JAIN, Dy. Secy.